

# जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मोप्र०)

क्रमांक स्था.दो/बी/2022/173-7/अ.नि./

दिनांक / / 2022

## // आदेश //

म.प्र. शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी आदेश क्रमांक सी 3-12/2013/.../3, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में जारी नियम एवं दिशा निर्देशों के परिपालन में निम्नलिखित आवेदक को भूत्य के पद, लेवल 1 (रूपये 15500 + अन्य भत्ते) पर कॉलम क्र. 03 में दर्शित श्रेणी के अन्तर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संलग्न शर्तों के अधीन तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर कॉलम क्रमांक 04 में अंकित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1.	श्री हेमन्त कुमार बाघमारे, पुत्र स्व. श्री अशोक बाघमारे, पूर्व पोल्ट्री बॉय, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	सामान्य	संचालक शिक्षण, ज़.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर बजट शीर्ष 5 DI Univ. Adm. <b>Jabalpur</b> में रिक्त चौकीदार के पद के विरुद्ध वेतन आहरित किया जावेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, सायफेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

श्री बाघमारे को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पद के संबंध में नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकल्प में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

संलग्न :— अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

—स्वृ—  
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक स्था.दो/बी/2022/173-7/अ.नि./ 172

दिनांक 08/02/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :—

1. कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. संचालक, अनुसंधान/विस्तार सेवाये/गिरिजान, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
3. अधिष्ठाता, कृषि/कृषि अभियांत्रिकी संकाय, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. लेखानियंत्रक, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. कार्यपालन यंत्री, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. सहायक कुलसचिव, सामान्य/स्थापना/विधि, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
7. अनुभाग अधिकारी, ई.एफ.पी./भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/सामान्य/पेंशन/वेतन निर्धारण/विधि, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
8. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर। कृपया उपरोक्त आदेश वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. श्री हेमन्त कुमार बाघमारे, पुत्र स्व. श्री अशोक बाघमारे, पूर्व पोल्ट्री बॉय, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर। संलग्न अनुसार शपथ-पत्र नोटराईज कराकर उपस्थिति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
10. व्यवितरण/सुरक्षा नस्ती।

नोट – संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन संबंधी कार्यवाही की जावे।

४, कुलसचिव

## जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

### अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें

1. उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी इकाई में स्थानांतरित की जा सकेगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती हैं यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील होंगी।
3. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
4. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
6. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
7. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय जन्मतिथि आदि के सत्यापन हेतु सभी वांछित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम में विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय—समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
9. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण—पत्र जाँचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना—2005 के अधीन होगी।
11. आवेदक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं संलग्न शपथ—पत्र असत्य पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

१  
कुलसचिव